न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः– मारिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्याः– 143/2023

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. बोराराम पुत्र ओगड़राम जाति प्रजापत निवासी हापत तह0 सोजत जिला पाली राज0।		1. भंवरलाल पुत्र ओगडराम 2. गणपतलाल पुत्र ओगड़राम जातिगण प्रजापत निवासीगण कैप्टन गुमान सिंह के बंगले के पीछे, पब्लिक मॉडर्न स्कूल के पास शिव नगर, मंडिया रोड़, पाली राजस्थान। 3. सुनीता पत्नी सत्यनारायण जाति प्रजापत निवासी कृष्णा नगर, पाली। 4. भुंडाराम पुत्र ओगडराम जाति प्रजापत निवासी हापत तह0 सोजत। 5. तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत।

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितिः–

1. श्री ताराचंद टांक अधिवक्ता वादी उपस्थित।
2. श्रीमती नीलम सोनी अधिवक्ता प्रति सं0 03 व 04 उपस्थित।

दिनांक :– 24/08/2023

–: निर्णय :–

अधिवक्ता वादीगण ने राजस्व वाद विरूद्ध प्रतिवादी के पेश कर निवेदन किया कि सरहद मौजा ग्राम हापत पटवार हल्का रेपड़ावास, तहसील सोजत के खतौनी 2010–2019 के अनुसार खसरा नम्बर 385 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा, ख0नं0 388 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा, ख0नं0 466 रकबा 7 बीघा 12 बिस्वा, ख0नं0 467 रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा, ख0नं0 518 रकबा 7 बीघा 4 बिस्वा, ख0नं0 519 रकबा 7 बीघा 11 बिस्वा कुल रकबा 38 बीघा 13 बिस्वा के खातेदार मंगला व पुखिया पिसरान भेरा जाति कुम्हार बहिस्सा बराबर, खतौनी 2010–2019 के अनुसार खसरा नम्बर 33 रकबा 15 बीघा 14 बिस्वा, ख0नं0 325 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा, ख0नं0 510 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा, ख0नं0 534 रकबा 7 बीघा 7 बिस्वा, ख0नं0 564 रकबा 14 बीघा 6 बिस्वा, ख0नं0 591 रकबा 12 बीघा 14 बिस्वा ख0नं0 324 रकबा 0 बीघा 1 बिस्वा के खातेदार मंगला व पुखिया पिसरान भेरा जाति कुम्हार बहिस्सा बराबर उक्त कृषि भूमि वादी के दादा मंगलाराम तथा उनके भाई पुखाराम के संयुक्त खातेदारी की थी, इन्होंने अपने जीवनकाल में अपने–अपने हिस्से का वैध बंटवाड़ा कर दिया। इसके अतिरिक्त ख0नं0 8 रकबा 15 बीघा वादी के पिता ओगडराम के खरीद सुदा कृषि भूमि थी, जो गत सेटलमेंट में पत्रावली सं0 198/79 निर्णय एआरओ पाटी सं0 3 जोधपुर दिनांक 18.04.1979 को वादी के पिता का नाम नया ख0नं0 18 रकबा 2.44 है0 में 1/3 हिस्से पर दर्ज हुआ। स्व0 मंगलाराम के जीवनकाल में ही उनके हिस्से की कृषि भूमि गत सेटलमेंट के दौरान उनकी सहमति पर वादी के पिता स्व0 ओगडराम के नाम राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार के दर्ज हुई। जिसका विवरण नये खसरे के रूप में इस प्रकार है जमाबंदी सम्वत् 2072–75 के अनुसार खाता सं0 26 के ख0नं0 687, 748, 753, 770, 823, 863, 864, 18 कुल खसरा 08 कुल रकबा 4.5900 है0 के खातेदार ओगडराम पुत्र मंगलाराम जाति कुम्हार उपरोक्त कृषि भूमि के पुराने नए नम्बर की खतौनी 2010 से 2019 तथा खसरा पत्रक साथ संलग्न है। जिसमे स्पष्ट है कि उपरोक्त कृषि भूमि वादी की पैतृक संयुक्त

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

खातेदारी कब्जा काश्त की रिथत है। जिरा पर वादी के पिता ओगडराम के जीवनकाल तक सभी वैध वारिसान का संयुक्त कब्ज़ा काश्त रहा है। चूंकि वादी स्वर्गीय मंगलाराम के वंशज स्वर्गीय ओगडराम का जाईन्दा पुत्र है अतः उसका वादस्थ कृषि भूमि में 1/5 हिस्सा आता है जिसका वह वैध खातेदार है। स्वर्गीय ओगडराम ने अपने जीवनकाल में मौखिक रूप से अपने वारिसान वादी एवं प्रतिवादी के मध्य उक्त वादस्थ कृषि भूमि बॉट कर दे दी। उसी मौखिक बंट अनुसार सभी का अपने अपने हिस्से पर कब्जा काश्त है। वादी के पिता ओगडराम का स्वर्गवास दिनांक 12/05/2023 को हो चूका है। स्वर्गीय ओगडराम गत 7–8 वर्षो से प्रतिवादीगण भंवरलाल तथा गणपतलाल के साथ रहवास कर रहे थे। प्रतिवादी भुंडाराम तथा प्रतिवादी गणपतलाल के मध्य 8–10 वर्षो से आपसी विवाद के कारण बोलचाल बंद है। क्योकि वादी की पत्नी तथा प्रतिवादी भंडाराम की पत्नी सगी बहने है, वादी उनके आपसी विवाद में तठस्थ है मात्र दोनों बहने एक होने के कारण प्रतिवादी 1 व 2 वादी के प्रति नाराजगी रखते है तथा पिता स्व. ओगडराम जी को उनके विरुद्ध बहका रहे थे। अकेले में अपने पिता से भी नहीं मिलने देते थे। वादस्थ उक्त संपूर्ण कृषि पैतृक संयुक्त अविभाजित भूमि है सभी का संयुक्त वैध हक अधिकार तथा कब्ज़ा काश्त है। चूँकि स्वर्गीय ओगडराम प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के शामिल ही रहते थे, अतः प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने वादी को वादस्थ कृषि भूमि में निहित अपने वैध खातेदारी एवं हक हिस्से से वंचित करने का षड्यंत्र रचा, पिता को बहका फुसलाया गया, उन्हें गुमराह कर दिनांक 10/07/2017 को वादस्थ कृषि भूमि का अलग अलग अवैध विक्रय पत्र निम्न रूप से वादी की बिना जानकारी, बिना सहमती, बिना वैध बंटवाडा अपने नाम करवा दी। जो निम्न रूप से विक्रय करवाया गया। 1. प्रतिवादी भंवरलाल पुत्र ओगडराम जी पटेल जाति कुमावत के नाम विक्रय पत्र दिनांक 10/07/2017 सरहद हापत पटवार हल्का रेपडावास खसरा संख्या 687 रकबा 0.6000 हैक्टर, खसरा संख्या 748 रकबा 0.6600 हैक्टर की कुल रकबा 1.2600 हैक्टर की संपूर्ण भूमि तथा खसरा संख्या 823, 863, 864 एवं 18 की कुल भूमि का 1/3 हिस्सा अर्थात कुल 2.2900 हैक्टर का 1/3 हिस्सा 0.7633 हैक्टर की कृषि भूमि इस प्रकार संपूर्ण वादस्थ कृषि भूमि रकबा 2.0233 हैक्टर प्रतिवादी भंवरलाल को विक्रय की गयी। 2. प्रतिवादी गणपतलाल पुत्र ओगडराम जी पटेल जाति कुमावत के नाम विक्रय पत्र दिनांक 10/07/2017 सरहद हापत पटवार हल्का रेपडावास के खसरा संख्या 753 रकबा 0.7000 हैक्टर, खसरा संख्या 770 रकबा 0.3400 हैक्टर कुल रकबा 1.0400 हैक्टर की संपूर्ण भूमि तथा शेष खसरा संख्या 823, 863, 864 व 18 कुल रकबा 2.2900 हैक्टर का 1/3 हिस्सा 0.7633 हैक्टर इस प्रकार संपूर्ण वादस्थ कृषि भूमि में से 1.8033 हैक्टर प्रतिवादी गणपतलाल के नाम विक्रय की गयी। उक्त संपूर्ण विवादित कृषि भूमि वादी की पैतृक संयुक्त अविभाजित है जिसका अभी तक विधिवत् बंटवाडा नहीं हुआ है। इसीलिए वादी का प्रत्येक इंच पर समान हक अधिकार कायम है। वादस्थ कृषि भूमि पर बेचान कर्ता स्वर्गीय ओगडराम का मात्र 1/6 हिस्सा यानी कुल क्षेत्रफल 4.5900 हैक्टर में 0.7650 हैक्टर ही होता है, मगर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने ओगडराम के अपने शामिल रहवास का फायदा उठाते हुए वादी को वादस्थ भूमि में निहित उसके हक हिस्से से वंचित कर संयुक्त अविभाजित पैतृक सम्पति हडप करने की दुर्भावना से गहन साजिश रच कर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 तथा ओगडराम से मिलकर प्रतिवादी भंवरलाल ने कुल वादस्थ भूमि में से 2.0233 हैक्टर तथा प्रतिवादी गणपतलाल ने 1.8033 हैक्टर कृषि भूमि की बेचान रजिस्ट्री करवा कर चुपके चुपके वादी की बिना जानकारी बिना सहमती म्युटेशन संख्या 785 दिनांक 5/11/2017 को अपने नाम स्वीकृत करवा दी जो बेचान रजिस्ट्री वादी के हक हिस्से तक शून्य तथा बेअसर है। क्योकि म्युटेशन फिस्कल प्रोसिडिंग है इससे खातेदारी अधिकार समाप्त नहीं होते। इतना ही नहीं बल्कि बाद बेचान रजिस्ट्री हल्का पटवारी से मिलकर शेष संयुक्त पैतृक अविभाजित कृषि भूमि खसरा संख्या 823, 863, 864 तथा 18 कुल रकबा 2.2900 हैक्टर में वादी तथा प्रतिवादी 3 व 4 को जानबूझकर वैध खातेदारी अधिकारों से वंचित कर दिया जबकि प्रतिवादी 1 व 2 को यह पूर्ण रूप से जानकारी है कि वादी तथा प्रतिवादी संख्या 3, 4 स्व. ओगडराम जी के जाईन्दा पुत्र पुत्री है तथा वादस्थ भूमि सभी

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

की संयुक्त पैतृक अविभाजित भूमि है। जिसमे सभी का समान हिस्सा निहित है। उक्त अवैध विक्रय से वादी का हिस्सा प्रभावित नहीं होता है, न ही वादी इससे पावंद है। चूंकि प्रतिवादी 1, 2 तथा ओगडराम ने मिलकर साजिश रच वादी को खातेदारी से ही वंचित कर दिया ऐसी स्थिति में वादी के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह वादस्थ संपूर्ण कृषि भूमि में अपना हिस्सा / हक घोषित करावे। चूँकि वादी के पिता ओगडराम का स्वर्गवास हो चूका है अब उपरोक्त संपूर्ण वादस्थ संयुक्त अविभाजित कृषि भूमि में वादी का 1/5 हिस्सा अर्थात कुल भूमि 4.5900 हैक्टर में से 1/5 हिस्सा रकबा 0.9180 हैक्टर का खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी संख्या 4 भुंडाराम को उक्त अवैध विक्रय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 17/03/2022 को होली पर ग्राम हापत आने पर हुई। जानकारी बाद उनके द्वारा शिकायत करने पर उन्हें वादी सहित वादस्थ कृषि भूमि से वंचित तथा बेदखली की धमकी देने पर प्रतिवादी भुंडाराम ने वादी को साथ रख उपरोक्त अवैध विक्रय पत्र को शून्य कराने का वाद माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश महोदय सोजत के यहाँ प्रस्तुत किया जो वाद संख्या 12/2022 विचाराधीन है। इस वाद में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने वादी पर उनके पक्ष में जवाब देने हेतु प्रलोभित करते हुए दबाव डाला, वादी द्वारा इंकार करने पर प्रतिवादी भंवरलाल, गणपतलाल ने नाराज होकर वादी को अपनी संपूर्ण पैतृक सम्पति से वंचित करने की साजिश रच दिनांक 31/12/2022 को ग्राम हापत के आबादी क्षेत्र में स्थित पैतृक आवासिय भूखंड से वंचित करने की नियत से पिता स्वर्गीय ओगडराम द्वारा अपने द्वारा निर्मित तीन कमरे में से एक कमरा उसके हिस्से में रहवास हेतु दिया के मुख्य द्वार के आगे 4–5 फूट ऊँची दिवार चुनवा कर आवागमन का दरवाजा ही बंद कर दिया। मकान के अन्दर घर बिक्री सामान बंद हालत में पड़ा है। वादी द्वारा माननीय सिविल न्यायालय में इस अवरोध को हटाने तथा निषेधाज्ञा का वाद प्रतिवादी भंवरलाल के विरुद्ध प्रस्तुत किया जो वाद संख्या 5/2023 विचाराधीन है। इस प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1, 2 द्वारा जवाब दावा एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया जिसमे उन्होंने लिखित में स्वीकार किया कि करीब 15 वर्ष पूर्व पिता ओगडराम ने वादस्थ संपूर्ण कृषि भूमि का अपने पुत्रो में बराबर विभाजन कर अलग अलग सुपुर्द कर दी थी तब से सभी का कब्जा काश्त अपने अपने हिस्से की भूमि पर है। प्रतिवादी संख्या 1, 2 अपनी इस स्वीकृति से पाबंद है। मगर उन्होंने जानबूझ कर संपूर्ण वादस्थ कृषि भूमि में से 2/3 हिस्सा की कृषि भूमि से भी अधिक की बेचान रजिस्ट्री अपने नाम करवा कर मौके पर भारी विवाद तनाव पैदा कर दिया है। वादी का वादस्थ संपूर्ण कृषि भूमि में 1/5 हिस्सा आता है, जिसे प्रतिवादीगण द्वारा इंकार करने पर इसे अपने हिस्से की खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवा कर अपना हिस्सा अलग से बाई मीट एंड बाऊंडस के विभाजित कर अलग से कब्ज़ा प्राप्त कर कब्ज़ा प्राप्त करना आवश्यक होने से तथा प्रतिवादीगण को वादी के हिस्से की भूमि के कृषि कार्य में दखलंदाजी कर बेदखली के अवैध कृत्य को रोकना अतिआवश्यक होने से खातेदारी अधिकार की घोषणा वैध बंटवाडा तथा निषेधाज्ञा का यह वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत है। इस प्रकार अधिवक्ता मय वादी ने राजस्व वाद प्रस्तुत कर माफिक डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जावे कि वाद के पद संख्या 1 में वर्णित वादस्थ संयुक्त पैतृक अविभाजित कृषि भूमि में वादी 1/5 हिस्से का वैध हिस्सेदार काश्तकार है, तथा अवैध विक्रय दिनांक 10/07/2017 वादी के हिस्से तक अप्रभावी है। वाद के पद संख्या 1 में वर्णित संयुक्त पैतृक अविभाजित विवादित कृषि भूमि में वादी का 1/5 हिस्सा बाई मीट एंड बाऊंड्स के विभाजन कर वादी को उसके हिस्से की भूमि पर अलग से कब्ज़ा दिलाया जाने तथा निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी फरमाई जावे कि वह वादी के हिस्से व कब्ज़ा काश्त में दखलंदाजी न तो करे न करावे की ईश्तदुआ की हैं।

इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन वास्ते जवाब दावा हेतु तलब किया गया। प्रति सं0 03 व 04 की ओर ईकबालिया जवाब दावा पेश कर माफिक ईश्तदुआ अनुसार वादीगण का वाद डिकी किये जाने पर

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

कोई उज एतराज नहीं होना जाहिर किया हैं। प्रति सं0 01, 02 व 05 बावजूद सूचना/तामिली अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

अधिवक्ता वादी ने शहादत वादीगण के मुख्य परीक्षण हेतु वादी बोराराम स्वयं का तस्दीक शुदा शपथ पत्र पेश किए मुख्य परीक्षण पर वादी स्वयं के बयान पीडब्ल्यु–1 कलमबद्ध करवाये गए। वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य यथा विवादित कृषि भूमि का खतौनी प्रदर्श–1 है जिसकी फोटो प्रति प्रदर्श 1ए है। खतौनी में अंकित पुराने खसरे के नये खसरा नम्बर का पत्रक प्रदर्श–2 है, जिसकी फोटो प्रति प्रदर्श 2ए है। विवादित कृषि भूमि की जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 प्रदर्श–3 है। ओगड़राम ने प्रतिवादी भंवरलाल के पक्ष में जो विक्रय पत्र लिखा उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श–4 है, जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर एक्स स्थान पर ओगड़राम के अंगुष्ठ के निशान है तथा ए से बी खरीददार भंवरलाल के हस्ताक्षर है। इस बेचान पत्र पर वाई स्थान पर फोटो मेरे पिता ओगड़राम का है तथा जेड स्थान पर फोटो मेरे भाई भंवरलाल का है इसी प्रकार मेरे पिता ओगडराम द्वारा मेरे भाई गणपतलाल के पक्ष में कराई गई बेचान रजिस्ट्री प्रदर्श–5 है, जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर एक्स स्थान पर गणपतलाल के अगुष्ठ का निशान है तथा ए से बी स्थान पर हस्ताक्षर है। प्रदर्श–5 पर वाई स्थान पर मेरे भाई गणपतलाल का फोटो है तथा जेड स्थान पर गणपतलाल का फोटो है। इस बेचान रजिस्टी के आधार पर गणपतलाल व भंवरलाल ने विवादित कृषि भूमि के म्यूटेशन अपने नाम करवाया जो प्रदर्श–6 है। ग्राम हापत में स्थित हमारे पैतृक मकान के विवाद पर मैंने प्रतिवादी भंवरलाल के विरूद्ध सिविल कोर्ट सोजत में वाद पेश किया जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श–7 है इसके प्रत्येक पृष्ठ पर ए से बी स्थान मेरे हस्ताक्षर है। वाद के साथ शपथ पत्र तथा नक्शे पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। प्रतिवादी भंवरलाल ने मेरे द्वारा प्रस्तुत वाद का जबाव दावा माननीय सिविल न्यायालय में पेश किया, जिसमें उसने विवादित कृषि भूमि में प्रत्येक भाई का 1/4 व 1/4 हिस्सा होना स्वीकार किया। जबावदावा की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श–8 है, जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर ए से बी भंवरलाल के हस्ताक्षर है। मेरे पिता ओगड़राम ने एक शपथ पत्र प्रदर्श–9 प्रस्तुत किया। जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श–9 है जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर एक्स स्थान मेरे पिता का अंगुठा है। इसी प्रकार प्रतिवादी गणपतलाल ने अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया, जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श–10 है, जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर हैं।

शहादत वादी के मुख्य परीक्षण पर भुण्डाराम पुत्र ओगड़राम के बयान पीडब्ल्यु–2 कलमबद्ध करवाये गए तथा अपने बयानों में कहा कि मैने इस प्रकरण में मेरी ओर से तथा मेरी बहन सुनीता की तरफ से जवाबदावा प्रस्तुत किया है, जो प्रदर्श–11 हैं। इस पर प्रत्येक पृष्ठ पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर हैं, साथ में संलग्न शपथ पत्र भी ए से बी मेरे हस्ताक्षर हैं तथा एक्स स्थान पर मेरी बहन सुनिता के अंगुष्ठ के निशान है। जिरह प्रतिवादी के विरूद्ध एक तरफा रही।

बहस अधिवक्ता वादी एवं प्रति सं0 03, 04 सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता वादी ने व्यक्त किया कि वादग्रस्त कृषि भूमि जिसके पुराने ख0नं0 386, 388, 466, 467, 518, 519, 33, 325, 510, 534, 564, 591, 324 वादी व प्रति सं0 1 से 4 के दादा मंगला व उनके भाई पुखिया पिसरान भेरा की बहिस्सा बराबर संयुक्त खातेदारी की थी, जिसमें स्व0 मंगलाराम का स्व0 ओगड़राम जायंदा पुत्र होने से वादस्थ कृषि भूमि में 1/2 हिस्सा आता है तथा वादी के पिता ओगड़राम की खरीदसुदा कृषि भूमि ख.नं. 8 थी। उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि के नये एवं वर्तमान खसरा नंबर 687, 748, 753, 770, 823, 863, 864, 18 कुल खसरा 08 कुल रकबा 4.5900 है0 हैं, जो ओगड़राम की रही हैं। उक्त वादग्रस्थ कृषि भूमि में स्व0 ओगड़राम की जायंदा संतान होने से वादी एवं प्रति सं0 1 से 4 का बहिस्सा बराबर हक हिस्सा बनता हैं। लेकिन प्रति सं0 1 व 2 द्वारा वादी के पिता को गुमराह कर ख.नं. 687 रकबा 0.6000 है0, खसरा नंबर 748 रकबा 0.6600 है0 कुल रकबा 1.2600 है0 की संपूर्ण भूमि तथा ख0नं0 823, 863, 864, 18 की कुल भूमि रकबा 2.2900 है0 का 1/3 हिस्सा 0.7633 है0 प्रति सं0 1 को तथा ख.नं. 753

उपखण्ड अधिकारी,

रकबा 0.7000 है0, खसरा नंबर 770 रकबा 0.3400 है0 कुल रकबा 1.0400 है0 की संपूर्ण भूमि तथा ख0नं0 823, 863, 864, 18 की कुल भूमि रकबा 2.2900 है0 का 1/3 हिस्सा 0.7633 है0 प्रति सं0 2 को दिनांक 10.07.2017 को बेचान कर नामा0 सं0 785 दिनांक 05.11.2017 द्वारा प्रति सं0 01 व 02 ने अपने नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करवा दिया गया। उक्त बेचान वादी के हक हिस्से तक शून्य तथा बेअसर हैं। वादस्थ संयुक्त अविभाजित कृषि भूमि में वादी का 1/5 हिस्सा अर्थात् कुल भूमि 4.5900 है0 में से 1/5 हिस्सा रकबा 0.9180 है0 हक हिस्सा बनता हैं। वादस्थ भूमि में वादी अपने 1/5 हिस्सा की खातेदारी घोषणा कर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा कर वादी के हिस्से की भूमि का अलग से कब्जा दिलाये जाने की ईश्तदुआ की हैं। जवाब बहस में अधिवक्ता प्रति सं0 04 व 05 द्वारा स्व0 ओगड़राम की जायंदा संतान होने से वादग्रस्थ कृषि भूमि में प्रत्येक का 1/5–1/5 हक हिस्सा बनता हैं। जिसकी प्रति सं0 03 व 04 के नाम खातेदारी घोषणा कर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा कर वादी के हिस्से की भूमि का अलग से कब्जा दिलाये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

अधिवक्ता वादी द्वारा प्रा0पत्र प्रस्तुत कर धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अनुतोष डिलीट किये जाने का निवेदन किये जाने से वादी को धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पुनः वाद लाने का अधिकार सुरक्षित रखते हुए वाद से धारा 53 आर0टी0 एक्ट का अनुतोष डिलीट किया जाता हैं

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत दावा, जवाब दावा, फहरिस्त मय दस्तावेजात, गवाह बयानात एवं प्रदर्शित दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन कर बहस अधिवक्ता वादी एवं प्रति सं0 03 व 04 पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादपत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विवादित कृषि भूमि का खतौनी प्रदर्श–1 है, जिसमें मंगला व पुखिया पि0 भेरा कौम कुम्हार, सा0 देह बहिस्सा बराबर की खातेदारी की इन्द्राज सुदा हैं। खतौनी में अंकित पुराने खसरे के नये खसरा नम्बर का पत्रक प्रदर्श–2 है, जिसमें ओगड़राम पुत्र मंगलाराम की खातेदारी दर्ज सुदा हैं। विवादित कृषि भूमि की जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 प्रदर्श–3 है। ओगड़राम ने प्रतिवादी भंवरलाल के पक्ष में जो विक्रय पत्र लिखा उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श–4 है, ओगड़राम द्वारा गणपतलाल के पक्ष में कराई गई बेचान रजिस्ट्री प्रदर्श–5 है, इस बेचान रजिस्ट्री के आधार पर गणपतलाल व भंवरलाल ने विवादित कृषि भूमि के म्यूटेशन अपने नाम करवाया, जो प्रदर्श–6 है। ग्राम हापत में स्थित पैतृक मकान के विवाद पर प्रतिवादी भंवरलाल के विरूद्ध सिविल कोर्ट सोजत में वाद पेश किया, जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श–7 है, प्रतिवादी भंवरलाल ने प्रस्तुत वाद का जबाव दावा माननीय सिविल न्यायालय में पेश किया, जिसमें उसने विवादित कृषि भूमि में प्रत्येक भाई का 1/4 व 1/4 हिस्सा होना स्वीकार किया। जबावदावा की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श–8 है। इस प्रकार प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों एवं गवाह बयानात के आधार विवादित आराजीयात की कृषि भूमि में वादी एवं प्रति सं0 1 से 4 का 1/5–1/5 हक हिस्सा बहिस्सा होना साबित होता है। अतः दिनांक 10.07.2017 को वादी के हक–हिस्से के विरूद्ध हुये बेचान को वादी की हद तक प्रारम्भतः ही शून्य करार (Ab-Intio-void) किया जाकर नामा0 सं0 785 दिनांक 05.11.2017 को भी खारिज किया जाकर वादी तथा प्रतिवादीगण सं0 1 से 4 को विवादित आराजीयात की कृषि भूमि में प्रत्येक का 1/5–1/5 अर्थात् रकबा 0.9180 है0 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना तथा वादी के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी आदि करने से प्रति0 को जरिए स्थाई निषेधज्ञा रोका जाना उचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः अधिवक्ता मय वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 92ए, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा ग्राम हापत पटवार हल्का रेपड़ावास, तहसील सोजत के वर्तमान ख0नं0

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

687, 748, 753, 770, 823, 863, 864, 18 कुल खसरा 08 कुल रकबा 4.5900 है0 की कृषि भूमि के संबंध में दिनांक 10.07.2017 को वादी के हक–हिस्से के विरूद्ध हुये बेचान को वादी की हद तक प्रारम्भतः ही शून्य करार (Ab-Intio-void) किया जाता है, फलस्वरूप नामा0 सं0 785 दिनांक 05.11.2017 को भी विधि सम्मत नहीं होने से खारिज किया जाता हैं। वादी तथा प्रतिवादीगण सं0 01 से 04 को विवादित आराजीयात की कृषि भूमि में प्रत्येक का 1/5–1/5 अर्थात् रकबा 0.9180 है0 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं, तदानुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार सोजत को दिये जाते हैं तथा स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी की जाती है कि प्रतिवादीगण वादस्थ भूमि में वादी के हक हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में बाधा अड़चन व नहीं करे व न ही अन्य किसी से करावे। शेष खाता बदस्तुर रहे। डिक्री पर्चा पृथक से मूर्तिब किया जाकर सामिल मिसल किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखित दफ्तर अभिलेख्य भण्डार जमा हो।

(मासिंगा राम)
सहायक कलक्टर, सोजत
(राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 04/08/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
सहायक कलक्टर, सोजत
(राज.)